उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

RMA No–61/2022–23

पूनम झा

बनाम्

जीतू कुमार पंडित

–: आदेश :–

नांक 15/1/25

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता पूनम झा पति–भूषण चंद्र झा सा0–साकेतपुरी, वार्ड नं0–07 थाना–गोड्डा नगर जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल दण्डाधिकारी,गोड्डा के न्यायालय के मिस0 आवेदन संख्या केश नं0–23/2023 के आदेश दिनांक–04.02.2023 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा उपायुक्त,गोड्डा के समक्ष लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया था कि मौजा–गोढ़ीमाल संख्या–503,जमाबंदी–34,दाग संख्या–127 के अंतर्गत 03 कट्ठा जमीन पर बने हुए मकान में अपीलकर्त्ता शान्ति पूर्वक निवास कर रही थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में विपक्षी ने उनके परिसर की दीवार तोड़ दी और उनके मकान में प्रवेश कर गए। उपायुक्त,गोड्डा द्वारा उक्त आवेदन को अनुमण्डल पदाधिकारी,गोड्डा को अग्रसारित कर दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी,गोड्डा ने धारा–144 द0प्र0स0 या धारा–107 की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई न कर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–20 एवं 42 के तहत प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–20 एवं 42 के तहत कार्रवाई हेतु आवेदन नहीं दिया था। उनका आगे कथन है कि अनुमण्डल पदाधिकारी,गोड्डा ने अंचल अधिकारी,गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना प्रक्रिया चलाई, जो सही नहीं है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पिता रघुवीर झा को लीलाधर पंडित से वर्ष 1936 में कुर्फा के माध्यम से प्राप्त हुआ था। पुनः वर्ष 2013 में अनिरूद्ध पंडित पे0–स्व0 लीलाधर पंडित द्वारा उक्त कुर्फा को माना है तथा अनापत्ति दिया गया है, जिसमें उनके दोनों पुत्र मनोज कुमार पंडित एवं जीतू पंडित का हस्ताक्षर भी अंकित है। उनका आगे कथन

है कि रघुवीर झा कुर्फा द्वारा प्राप्त जमीन पर शान्तिपूर्वक निवास करने लगे एवं अपनी पुत्री को उक्त जमीन, जिसका रकवा–03 कट्ठा है, शादी के समय दान स्वरूप में दे दिया एवं उक्त जमीन में अपीलकर्त्ता द्वारा चाहर दीवारी देते हुए 1210 वर्ग फीट का कमरा निर्माण कराया गया है तथा उक्त मकान में चापाकल, बिजली कनेक्शन एवं नगर पालिका द्वारा हॉल्डिंग रसीद भी कटवाया जा रहा है। उनका आगे कथन है कि जमीन के बदले में जमाबंदी रैयत को 08 लाख रपये की राशि दिया गया है। परन्तु भू–माफिया एवं स्थानीय पुलिस और अधिकारियों की मिली भगत से अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से बेदखल किया गया है। उनका आगे कथन है कि कब्जे वाले किसी मकान या भवन को खाली कराने के पहले उचित जाँच करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धाराएँ आवासीय मकान में लागू नहीं होता है। यह जमीन नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित है तथा जमीन का स्वरूप आवासीय है, कृषि योग्य नहीं है। अपीलकर्त्ता के नाम से नगर पालिका का रसीद तथा बिजली बिल है तथा अपीलकर्त्ता का अनाधिकृत कब्जा उक्त जमीन पर नही है, इसलिए अपीलकर्त्ता को जबरन बेदखल करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उन्हें निर्मित आवास पर वापस अधिकार दिलाने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–गोढ़ीमाल नं0–503 जमाबंदी नं0–34 दाग नं0–127 गत सर्वे पर्चा में फकीर चंद पंडित के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत फकीर चंद पंडित अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः 1.लीलाधर पंडित 2.गंगाधर पंडित एवं 3.हरेन्द्र पंडित को छोड़कर फौत कर गए। उक्त जमीन पर तीनों की संयुक्त हिस्सेदारी है। अनुमण्डल पदाधिकारी,गोड्डा द्वारा पारित आदेश संथाल परगना काश्ताकारी अधिनियम के तहत है। अपीलकर्त्ता के पिता रघुवीर झा द्वारा कुर्फा के माध्यम से जमीन प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है,जो नियम विरूद्ध है। अपीलकर्त्ता के पास जमीन होने का दावा गलत है एवं अपीलकर्त्ता का आवेदन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत खारिज करने योग्य है।

विज्ञ सरकारी वकील,गोड्डा का कथन है कि अनुमण्डल पदाधिकारी,गोड्डा का आदेश नियम संगत है एवं अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील के सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गोढ़ी माल, थाना नं0–503, जमाबंदी नं0–34, दाग नं0–127 की जमीन गत गेंजर पर्चा में फकीर चन्द पंडित वल्द दुली पंडित के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमीन को कुर्फा/शपथ पत्र के माध्यम से प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है एवं प्रतिवादी द्वारा जमाबंदी रैयत के वंशज होने के आधार पर उक्त जमीन पर दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय द्वारा भी पाया गया है कि अपीलकर्त्ता ने उक्त भूमि को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम,1949 की धारा–20 के विरूद्ध प्राप्त किया है। अतः ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी,गोड्डा के मिस आवेदन केश संख्या–23/23 में दिनांक–04.02.2023 के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 11:11:03 +05:30
Location: 192.168.1.33